न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 119/2024(GCMS : 2024/170)

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, 98 वृंदावन विहार, गगन पथ, श्रीगंगानगर, राजस्थान – 335001

बनाम

नरेश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी वार्ड नं. 08, राजकीय विद्यालय नं. 07, रवि चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर राजस्थान, 335001

15.10.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री कमल कुमार ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 20.08.2024 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी नरेश कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 6.00/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 07.08.2019 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 31.12.2022 को 6,87,226/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी नरेश कुमार द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड संख्या ए–31, एस क्यू नं. 13, प्लाट नं. ए–28, किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23, चक 4 जी बड़ी, रॉयल एनक्लेव, ग्राम कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सम्पत्ति का अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्गफीट है। सम्पत्ति की चारों सीमाएं–उत्तर में – भूखण्ड संख्या : ए–30, दक्षिण में : भूखण्ड संख्या : ए–32, पूर्व में–सड़क 30 फुट एवं पश्चिम में–अन्य भूखण्ड है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:35:50 IST
Reason: SelfAttested

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी नरेश कुमार** को ऋण सुविधा के रूप में 6.00/— लाख रूपये **(अखये रूपये छः लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 07.08.2019 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी नरेश कुमार ने अपनी अचल सम्पत्ति **आवासीय भूखण्ड संख्या ए—31, एस क्यू नं. 13, प्लाट नं. ए—28, किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23, चक 4 जी बड़ी, रॉयल एनक्लेव, ग्राम कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सम्पत्ति का अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्गफीट है। सम्पत्ति की चारों सीमाएं — उत्तर में — भूखण्ड संख्या : ए—30, दक्षिण में : भूखण्ड संख्या : ए—32, पूर्व में — सड़क 30 फुट एवं पश्चिम में — अन्य भूखण्ड है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 28.09.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक/प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थी की सम्पत्ति पर चस्पा कर, दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस के प्राप्त हो गये है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका कि कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:35:50 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी नरेश कुमार की अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड संख्या ए–31, एस क्यू नं. 13, प्लाट नं. ए–28, किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23, चक 4 जी बड़ी, रॉयल एनक्लेव, ग्राम कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सम्पत्ति का अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्गफीट है। सम्पत्ति की चारों सीमाएं – उत्तर में–भूखण्ड संख्या : ए–30, दक्षिण में : भूखण्ड संख्या : ए–32, पूर्व में–सड़क 30 फुट एवं पश्चिम में – अन्य भूखण्ड है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 13.01.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 13.01.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 13.01.2023 को ही भिजवाये गये थे, जिसके प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक/प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इसके पश्चात प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस उसकी सम्पत्ति पर दिनांक 10.03.2023 चस्पा कर, दो समाचार पत्रों पंजाब केसरी एवं बिजनैस स्टैण्डर्ड में दिनांक 06.04.2023 को प्रकाशित करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है, जिसके** अनुसार [illegible] को [illegible](2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। [illegible] ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही [illegible] **शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:35:50 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

में ऋणी **नरेश कुमार** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **नरेश कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड संख्या ए–31, एस क्यू नं. 13, प्लाट नं. ए–28, किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23, चक 4 जी बड़ी, रॉयल एनक्लेव, ग्राम कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सम्पत्ति का अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्गफीट है। सम्पत्ति की चारों सीमाएं – उत्तर में–भूखण्ड संख्या : ए–30, दक्षिण में : भूखण्ड संख्या : ए–32, पूर्व में–सड़क 30 फुट एवं पश्चिम में – अन्य भूखण्ड है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:35:50 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 26.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर